षोडश बिहार विधान सभा

नवम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.04.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अवधेश कुमार सिंह, स०वि०स० डा० अशोक कुमार, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-139) श्री विजय शंकर दूबे, स०वि०स० श्री कुमार सर्वजीत, स०वि०स० श्री मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० डा० रमानुज प्रसाद, स०वि०स०	"बिहार सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर पदोन्नति देने का प्रावधान है जिसे नजरअन्दाज कर कृषि विभाग में जनसेवकों / ग्रामीण प्रसार कार्यकर्त्ता के कनीय कर्मियों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों पर वर्ष-2009 एवं 2010 में पदोन्नति दे दिया गया । इसके विरूद्ध वरीय जनसेवक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC-16697/2009 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.10.2014 को प्रोन्नति आदेश निरस्त (SET ASIDE) करते हुए वरीयता के आधार पर ही प्रोन्नति देने का आदेश पारित किया गया है, लेकिन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई । कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा LPA-1489/2017 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में CWJC-16697/2009 में पारित न्यायादेश को लागू करने का आदेश पारित किया गया जिसे आज तक विभाग द्वारा लागू नहीं किया गया है । अतः वरीयता के आधार पर पदोन्नति देने एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश को लागू करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री रामसेवक सिंह, स०वि०स० श्री प्रकाश राय, स०वि०स०	"केन्द्र सरकार के निदेशानुसार SECC सूची में शामिल पात्र परिवारों को ही राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, (ग्रामीण/शहरी) सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि का लाभ देने का प्रावधान है । राज्य में काफी संख्या में गरीबों को SECC सूची से वंचित होने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है । केन्द्र सरकार ने सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की है कि यदि राज्य सरकार SECC सूची से वंचित गरीबों की सूची ग्राम सभाओं से पारित कराकर भेजे तो SECC सूची से वंचित गरीबों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल सकता है । अत: SECC सूची से वंचित राज्य के सभी पात्र गरीबों को उपरोक्त योजनाओं में शामिल कराने हेतु एक निश्चित समय सीमा के अंदर ग्राम सभाओं से पारित प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/18- 1879-1889 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
28.3.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/18- 1879-1889 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
28.3.2018
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।